न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 179/2023 दायर दिनाँक 17.08.2023

वादी

1. सालगराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. राजूराम दत्तक पुत्र लुणाराम जाति बावरी
2. लोड़की देवी पत्नी नाथूराम जाति मेघवाल
3. हरीराम पुत्र बिरदाराम जाति मेघवाल निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
4. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवाड़ा व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 53 R.T.Act., 136 L.R.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।
2. श्री तुफैल खान वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक 09.06.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम बिंचावा पटवार हल्का बिंचावा के खेत खसरा संख्या 605 रकबा 1.5400 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 21.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांकः भू.अ./2025/718 दिनाँक 12.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/718 दिनाँक 12.05.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

राजस्व ग्राम बिंचावा पटवार हल्का बिंचावा के खेत खसरा संख्या 605 रकबा 1.5400 है. भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा एवं रेकर्ड दुरूस्त कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/718 दिनाँक 12.05.2025 में [illegible] भूमि का रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर पक्षकारान का खाता [illegible] किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/718 दिनाँक 12.05.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 09.06.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:59:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner